न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 16/2018 गत मु.नं. 68/2008 **(RCMS No. 2018/00060)**

वादी

1. डूंगाराम पुत्र बोदूराम जाति बावरी निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्रवणराम पुत्र पुसाराम जाति बावरी निवासी जिलिया हाल नि. बोरावड़(छापर)तह.मकराना
2. चूंकली बेवा बालुराम
3. पूरर्णाराम पुत्र बालुराम
4. बन्सी पुत्र बालुराम
5. गोपाल पुत्र बालुराम
6. मोटाराम पुत्र दुलाराम (फौत) के कायम मुकाम :–
   6/1– भंवरलाल पुत्र मोटाराम
   6/2– रूपाराम पुत्र मोटाराम
   6/3– जगदीश पुत्र मोटाराम बावरी निवासी जिलिया हाल लोसल तह. दांतारामगढ़
7. सुवटी पत्नि चौथूराम
8. नाथुराम पुत्र चौथूराम
9. नामालुम पुत्र चौथूराम
10. लिछमी बैवा कानाराम (फौत)
11. नारायणी पत्नि डालूराम
12. भंवरलाल पुत्र डालूराम
13. नोलाराम पुत्र कानाराम जाति बावरी निवासी जिलिया हाल लोसल तह. दांतारामगढ़
14. मदनाराम पुत्र कानाराम बावरी निवासी जिलिया हाल नि. लोसल तह. दांतारामगढ़
15. चन्द्राराम पुत्र कानाराम सभी जाति बावरी निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी
16. मोहनलाल पुत्र हनुमानबक्ष
17. पूर्णमल पुत्र हनुमानबक्ष
18. रतनलाल पुत्र हनुमानबक्ष
19. मदनलाल पुत्र हनुमानबक्ष
20. उम्मेदमल पुत्र हनुमानबक्ष जाति महाजन निवासीगण जिलिया तहसील कुचामनसिटी
21. सब रजिस्ट्रार कुचामनसिटी
22. तहसीलदार नावां/कुचामनसिटी

दावा– इस्तकरार हक,रेकर्ड दुरूस्ती, भू-विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,188 R.T.Act 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:09 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित – श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

निर्णय

दिनॉक :– 27.09.2019

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में सजरा खानदान निम्नवत है :–

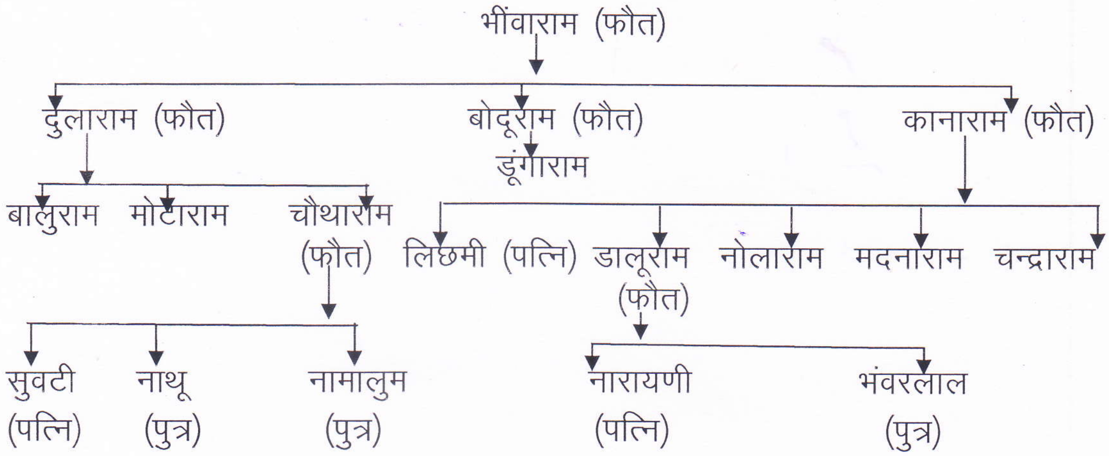

मौजा ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 553 रकबा 3.34 हैक्टर खसरा नम्बर 562 रकबा 0.03 हैक्टर कुल रकबा 3.37 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 307 रकबा 1.82 हैक्टर दर्ज चली आ रही है, उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 15 की पैतृक भूमि है एवं पैतृक सम्पति अनुसार भींवारम के वारिसान क्रमशः दूलाराम कानाराम बोदूराम जो फौत हो चुके है उनके वारिसान के हक हिस्से अनुसार प्रत्येक के 1/3 हिस्सा बनता है, उपरोक्त खसरान की भूमि में से खसरा नम्बर 307 रकबा 1.82 हैक्टर भूमि में से 0.81 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 16 ता 20 की कब्जा सुदा खातदेारी की है जो मौके पर अलग से स्थित है तथा उसका कोई विवाद नही है, शेष रकबा 1.01 हैक्टर भूमि माफिक हक हिस्सा 1/3 वादी के, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के, एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 के हक हिस्से में स्थित है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 553 562 कुल रकबा 3.37 हैक्टर में 1/3 हिस्सा वादी के, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के, एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 के हक हिस्से में स्थित है, प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हक हिस्सा नही है, राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 श्रवणराम जो वादी का भाई दर्ज कर पिता का नाम बोदूराम गलत दर्ज किया गया है, जबकि श्रवणराम के पिता का नाम पुसाराम था, जबकि श्रवणराम को वादी का भाई गलत दर्ज कर खसरा नम्बर 553 562 की भूमि में 1/3 हिस्सा का प्रत्येक का गलत दर्ज किया गया एवं खसरा नम्बर 307 मे भी श्र[illegible] गलत दर्ज कर दिया? इसलिये उक्त पैतृक सम्पति में माफिक हक हिस्से [illegible] दुरूस्त कर भू–विभाजन हेतु वादी को वाद पेश करना आवश्यक हुआ है प्रतिवादी [illegible] द्वारा राजस्व रेकार्ड में गलत नाम वादी के साथ दर्ज होने की वह नाजायज लाभ उठाना चाहता है तथा खाते में दर्ज नाम के अनुसार अपना हिस्सा अन्य लोगो को विक्रय करने पर उतारू है, जिसका बिना विभाजन कराये उसे विक्रय करने का कोई अधिकार भी प्राप्त नही हो सकता है इसलिये वादी को वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है, मौके पर वादी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:09 IST
Reason: SelfAttested

....3....

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 द्वारा अलग अलग माफिक हक हिस्सा विभाजन किया हुआ है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 श्रवणराम का नाम खातेदारी में वादी के साथ गलत रूप से दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नही है, श्रवणराम द्वारा गलत इन्द्राज के आधार पर भूमि को विक्रय कर दिया गया तो अनावश्यक कानूनी अड़चने पैदा होगी तथा स्ट्रेंजर प्रचेजर द्वारा हस्तक्षेप करने से मौके पर झगड़ा फसाद होगा, बिनाय दावा प्रतिवादी श्रवणराम द्वारा धमकी देने तथा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने पर बमुकाम जिलिया में उत्पन्न हुआ, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 307 रकबा 1.82 हैक्टर मे से 0.81 हैक्टर भूमि को छोड़कर 1.01 हैक्टर भूमि एवं 553 562 कुल रकबा 3.37 हैक्टर में 1/3 हिस्से की भूमि को वादी को, 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण 2 ता 9 को , तथा 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण सं. 10 से 15 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 01 श्रवणराम का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे, तथा इसी माफिक रिकार्ड राजस्व की दुरूस्ती का आदेश प्रतिवादी संख्या 22 व उसके एजेन्ट पटवारी हल्का को फरमाया जावे, प्रतिवादी संख्या 1 श्रवणराम को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे किवह खसरा नम्बर 553 562 307 मे से अपने नाम दर्ज भूमि को अन्य किसी भी व्यक्ति को बेचान हस्तानान्तरण का पंजियन नही करे। उपरोक्तानुसार भू–विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस फरमाया जावे,अन्य दादरसी जो मुफीद वादी हो अता फरमायी जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3, 6 के कायम मुकाम, 9, 16 से 20 के विरूद्व वादी द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा, प्रतिवादी संख्या 10 फौत हो चुकी जिसके कायम मुकाम पहले से रिकार्ड पर उपलब्ध है।

प्रतिवादी श्रवणराम ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी द्वारा गलत सजरा खानदान प्रस्तुत किया है उसमें श्रवणराम को नही दर्शाया गया है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बोदूराम के वारिसान है और बराबर के हक व हिस्सेदार है प्रतिवादी संख्या 01 के पिता पूसाराम का स्वर्गवास प्रतिवादी के दादा बोदूराम के जीवित रहते ही हो गया था इस कारण बोदूराम के फौत होने पर नामान्तरकरण वादी एवं प्रवितादी सं. 1 का नाम सही भरा गया लेकिन नामान्तरकरण के समय प्रतिवादी के पिता का नाम पूसाराम जीवित नही था इस कारण सहवन से पिता के स्थान पर दादा का नाम सहवन से लिखा गया है खसरा नम्बर 307 मे से प्रतिवादी सं. 18 से 20 के पिता का नाम सही दर्ज किया गय है तथा खसरा नम्बर 553 562 की भूमि में नामान्तरकरण भरते समय प्रतिवादी के पिता के स्थान पर दादा का नाम सहवन से गलत राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया गया है, माफिक प्रस्तुत सजरा खानदान के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बोदूराम के वारिस होने से उपरोक्त भूमि मे वादी का1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/6हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:09 IST
Reason: SelfAttested

....4....

उपखण्ड अधिकारी

बराबर होने से वादी व प्रतिवादी सं. 1 कर 1/3 राजस्व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 ता 15 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज सही किया गया है, वाद पत्र मनगढ़त तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा मिलान क्षेत्रफल की नकल, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण--पत्र, मिसल बन्दोबस्त की नकल सम्वत 2008 से 2026, जमाबन्दी नकल सम्वत 2010–2013, 2014–2017, 2065–68, चालू खतौनी नकल, गिरदावरी नकल सम्वत 2010–2013,2030–2033, ग्राम पंचायत बोरावड़ तहसील मकराना द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड सं. 200002501689 की प्रमाणित प्रति, भामाशाह आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, आवेदन पत्र PREVIEW OF RATION CARD की प्रति,मकराना विधान सभा क्षेत्र वर्ष 1975 ग्राम जिलिया की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।

मौखिक साक्ष्य में वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र, गवाह मदनलाल पुत्र गंगुराम उर्फ गंगाराम जाति खटीक उम्र 63 साल जिलिया का शपथ–पत्र, गवाह सागर शर्मा पुत्र मदन उम्र 65 साल जाति ब्राहम्ण निवासी जिलिया का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई जिन्होने वाद–पत्र में अंकित एवं जवाब दावा में अंकित तथ्यो को दोहराया है। प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2010–13 ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 167 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा में दुला काना बोदू पिता भींवा कौम बावरी सा. देह खातेदार दर्ज है खसरा नम्बर 64 रकबा 21 बीघा में भुरा भागीरथ नन्दा लाला पि. हमीरा लच्छा 1/2 दुला काना बोदू पि. भीवा काना वल्द नराणा कौम बावरी 1/2 दर्ज है नकल खतौनी सम्वत 2014–2017 मे भी उक्त अनुसार इन्द्राज है तथा गिरदावरी में भी उक्त अनुसार इन्द्राज है तथा दुला काना बोदू पि. भींया बावरी की काश्त दर्ज है सम्वत 2030–2033 में बालू मोटा चौथू पि. दुला काना बोदू पि. भींवा कालू पुत्र खींवा की काश्त दर्ज है जिसमे श्रवणराम की काश्त कही पर दर्ज नही है। मिलान क्षेत्रफल नकल अनुसार जिलिया के गत खसरा नम्बर 167 से नये खसरा नम्बर 307, गत खसरा नम्बर 64 से नये खसरा नम्बर 553, गत खसरा नम्बर 64 मि. से नये खसरा नम्बर 562 अंकित हुये, नकल खतौनी सम्वत 2065–68 ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 307 रकबा 1.82 हैक्टर में बालूराम मोटाराम चौथूराम पि. दुलारम भंवरलाल पुत्र डालुराम कुनणी पुत्री डालूराम नोलाराम मदनलाल चन्द्राराम पि. कानाराम लिछमी बैवा कानाराम डूंगाराम पुत्र बोदूराम श्रवणराम पुत्र पुसाराम कौम बावरी 1.01 हैक्टर सोहनलाल पूर्णमल रतनलाल मदनलाल उम्मेदमल पि. [illegible] कौम महाजन 0.81 हैक्टर सा. देह खातेदार दर्ज है तथा नामा[illegible] 2012 के द्वारा विरासत से रतनलाल पुत्र हनुमानबक्ष महाजन के स्थान पर चन्द्रकला पत्नि रतनलाल सुनिल कुमार पुत्र रतनलाल सरोज सरिता सुनीता इन्द्रा शा[illegible] संध्या पि. रतनलाल दर्ज किया गया। खसरा नम्बर 553 रकबा 3.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 562 रकबा 0.03 हैक्टर कुल रकबा 3.37 हैक्टर में चन्द्राराम पुत्र कानाराम 1/3 डूंगाराम श्रवणराम पि. बोदूराम 1/3 चूंकादेवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:09 IST
Reason: SelfAttested

....5....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

धर्म पत्नि बालूराम पूर्णमल बंशीलाल गोपाल पि. बालूराम भंवरलाल जगदीश रूपाराम पि. मोटाराम सुवादेवी पत्नि चौथूराम किशनलाल राजेन्द्र पि. चौथाराम 1/3 कौम बावरी सा. देह खातदेार दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008–2027 ग्राम जिलिया के गत खसरा नम्बर 167 रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा में दुला काना बोदू पि. भीवा कौम बावरी सा. खातेदारी दर्ज है, ग्राम पंचायत बोरावड़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार श्रवणराम पुत्र पूसाराम जाति बावरी उम्र 48 निवासी छापर कालोनी बोरावड़ तहसील मकराना में पिछले 35 वर्षो से निवास कर रहा है, राशन कार्ड सं. 200002501689 अनुसार श्रवणराम पुत्र पूसाराम छापर कालोनी बोरावड़ तहसील मकराना अंकित है,भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड इत्यादि में भी श्रवणराम का निवास स्थान बोरावड़ अंकित है, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मकराना की मतदाता सूची 1975 ग्राम जिलिया में क्रम सं.889 से 906 तक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 के नाम अंकित है जिसमें श्रवणराम का नाम अंकित नही है, गाम पंचायत जिलिया द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनॉक 13.02.2007 अनुसार ग्राम जिलिया में श्रवणराम के पिता का नाम पुसाराम है जो जाति से बावरी है राजस्व रेकार्ड में श्रवणराम के पिता का नाम बोदूराम यदि लिखा हुआ है तो वह गलत है श्रवणराम पुत्र पुसाराम जाति बावरी निवासी जिलिया सही नाम व वल्दियत है जो सही है। वादी द्वारा बहस दौरान जिक्र किया है किवह बंटवारा का अनुतोष नही चाहता है केवल घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की रिलिफ दी जावे।

उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि दूलाराम बोदूराम कानाराम पि. भीवाराम बावरी जिलिया के नाम दर्ज चली आई है तत्पश्चात उनके वारिसान के नाम भूमि दर्ज चली आई है, बोदूराम के एकमात्र पुत्र डूंगाराम वादी ही है, श्रवणराम नाम का कोई पुत्र बोदूराम के नही हुआ है, श्रवणराम की वल्दियत खसरा नम्बर 307 में श्रवणराम पुत्र बोदूराम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 553 562 में श्रवणराम पुत्र बोदूराम दर्ज है, दोनो खातों में अलग अलग वल्दियत दर्ज है जिससे प्रतीत होता है कि श्रवणराम वल्द बोदूराम एवं पूसाराम के नाम का जिलिया में कोई व्यक्ति नही रहा है, श्रवणराम पुत्र पूसाराम बावरी नाम का व्यक्ति ग्राम बोरावड़ में निवास करता आया है जो उपलब्ध आधार कार्ड राशन कार्ड भामाशाह आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि से साबित है, उपलब्ध मतदाता सूची 1975 अनुसार निम्न प्रकार प्रविष्टियॉ अंकित है :–

क्र. स.	घर संख्या मौहल्ले का नाम	निर्वाचक का नाम	पिता/पति/माता का नाम	पुरूष या स्त्री	01.01.75 को अनुमानित आयु
889	जिलिया, 97	बोदू	[illegible]	पु.	50
890		[illegible]	बोदू	स्त्री	45
891		डूगा	बोदू	पु.	29
892		खेतुड़ी	डूगा	स्त्री	26
893	जिलिया, 98	दुला	भींवा	पु.	64
894		मोटा	दुला	पु.	39
895		गंगली	मोटा	स्त्री	36
896		चौथू	दुला	पु.	39
897		सुवटी	चौथू	स्त्री	27

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:09 IST
Reason: SelfAttested

898	जिलिया 99/1	काना	भींवा	पु.	60
899		गणेशी	काना	स्त्री	49
900		डालीया	काना	पु.	38
901		नाराणी	डालीया	स्त्री	36
902		मदना	काना	पु.	28
903		बिरजुड़ी	मदना	स्त्री	25
904		नोला	काना	पु.	26
905	जिलिया, 99/2	बालु	दुला	पु.	39
906		चूंकली	बालू	स्त्री	34

उपरोक्त प्रविष्टियो से स्पष्ट है कि श्रवणराम पुत्र पूसाराम के नाम व्यक्ति पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 के परिवार का सदस्य नही रहा है, साथ ही प्रस्तुत आवेदन पत्र PREVIEW OF RATION CARD अनुसार श्रवणराम की माता का नाम सोहनी है जबकि वादी डूंगाराम की माता का नाम मतदाता सूची अनुसार लिछमा देवी है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी श्रवणराम, बोदूराम का पुत्र नही है। उपलब्ध मौखिक साक्ष्य गवाहो के शपथ पत्रों में भी उक्त तथ्य अंकित है कि श्रवणराम पुत्र पुसाराम नाम का व्यक्ति बोदूराम का कभी भी पुत्र नही रहा है केवल मात्र वादी ही बोदूराम का पुत्र है जिसकी पुष्टि उपलब्ध उपरोक्त रेकार्ड से होती है। अतः वाद वादी साबित होने से डिंक्री काबिल पाये जाने से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 307 रकबा 1.82 हैक्टर वादी डूंगाराम पुत्र बोदूराम को 101/546 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं श्रवणराम पुत्र पुसाराम 101/1092 हिस्सा का नाम राजस्व रेकार्ड से नाम हटाया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा, एवं जिलिया के खसरा नम्बर 553 रकबा 3.34 हैक्टर खसरा नम्बर 562 रकबा 0.03 हैक्टर कुल रकबा 3.37 हैक्टर मे वादी को 1/6 के स्थान पर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं श्रवणराम पुत्र बोदूराम 1/6 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 27.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 16/2018 गत मु.नं. 68/2008 **(RCMS No. 2018/00060)**

वादी

1. डूंगाराम पुत्र बोदूराम जाति बावरी निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्रवणराम पुत्र पुसाराम जाति बावरी निवासी जिलिया हाल नि. बोरावड़(छापर)तह.मकराना
2. चूंकली बेवा बालुराम
3. पूर्णाराम पुत्र बालुराम
4. बन्सी पुत्र बालुराम
5. गोपाल पुत्र बालुराम
6. मोटाराम पुत्र दुलाराम (फौत) के कायम मुकाम :–
   6/1– भंवरलाल पुत्र मोटाराम
   6/2– रूपाराम पुत्र मोटाराम
   6/3– जगदीश पुत्र मोटाराम बावरी निवासी जिलिया हाल लोसल तह. दांतारामगढ़
7. सुवटी पत्नि चौथूराम
8. नाथुराम पुत्र चौथूराम
9. नामालुम पुत्र चौथूराम
10. लिछमी बेवा कानाराम (फौत)
11. नारायणी पत्नि डालूराम
12. भंवरलाल पुत्र डालूराम
13. नोलाराम पुत्र कानाराम जाति बावरी निवासी जिलिया हाल लोसल तह. दांतारामगढ़
14. मदनाराम पुत्र कानाराम बावरी निवासी जिलिया हाल नि. लोसल तह. दांतारामगढ़
15. चन्द्राराम पुत्र कानाराम सभी जाति बावरी निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी
16. मोहनलाल पुत्र हनुमानबक्ष
17. पूर्णमल पुत्र हनुमानबक्ष
18. रतनलाल पुत्र हनुमानबक्ष
19. मदनलाल पुत्र हनुमानबक्ष
20. उम्मेदमल पुत्र हनुमानबक्ष जाति महाजन निवासीगण जिलिया तहसील कुचामनसिटी
21. सब रजिस्ट्रार कुचामनसिटी
22. तहसीलदार नावां/कुचामनसिटी

दावा– इस्तकरार हक,रेकर्ड दुरूस्ती, भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,188 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादी की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री श्यामसुन्दर चौधरी प्रतिवादी सं. 1 की ओर से मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 307 रकबा 1.82 हैक्टर वादी डूंगाराम पुत्र बोदूराम को 101/546 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं श्रवणराम पुत्र पुसाराम 101/1092 हिस्सा का नाम राजस्व रेकार्ड से नाम हटाया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा, एवं जिलिया के खसरा नम्बर 553 रकबा 3.34 हैक्टर खसरा नम्बर 562 रकबा 0.03 हैक्टर कुल रकबा 3.37 हैक्टर मे वादी को 1/6 के स्थान पर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं श्रवणराम पुत्र बोदूराम 1[illegible] नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27 माह 08 सन् 2018 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:09 IST
Reason: SelfAttested

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत..................
ओहदा..................
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)